संख्या–आई/1149609/2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री सन्त लाल सिंह, प्रबंधक,
सुबराजी देवी सेवा संस्थान,
ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड,
तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज।

पशुधन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2025

विषयः– उ0प्र0 में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कॉलेज, ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड, तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1320/रजिस्ट्रार यू0पी0वी0सी0/निरीक्षण आख्या/2024–25, दिनांक 08–10–2025 तथा अपने शपथ–पत्र, दिनांक 05–05–2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कॉलेज, ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड, तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज को परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन 100 सीट डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं 100 सीट डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स (अवस्थापना संरचना के अनुसार) हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है :–

1– प्रदेश में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम/डिप्लोमा कोर्स/सार्टीफिकेट कोर्स चलाये जाने हेतु नीति विषयक शासनादेश दिनांक 18.11.2024 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– पैरा वेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा।

3— पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पशुपालन विभाग, संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय (पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान तथा गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा), राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी नियमों/दिशा—निर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4— संस्था को उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन हेतु निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम के अनुसार कोर्स संचालित करना होगा।

5— संस्था को कोर्स संचालन हेतु कोई भी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा, बल्कि संस्था को समस्त व्यय अपने निजी स्रोतों से वहन करना होगा।

6— अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक मान्य होगा। उक्त अवधि में संस्था को पं0 दीन दयाल पशु चिकित्साविज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा से सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सम्बद्धता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा अमानत राशि लौटाई नहीं जाएगी।

7— संस्था को शासनादेश दिनांक 18.11.2024 में वर्णित शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ एवं अन्य विशिष्टियों का मानक अनिवार्य रूप से बनाये रखना आवश्यक होगा।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 20-11-2025 17:10:22

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—1320/रजिस्ट्रार यू0पी0वी0सी0/निरीक्षण आख्या/2024—25, दिनांक 08—10—2025 के संदर्भ में।

(2) कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAVINDRA PRATAP SINGH
Date: 20-11-2025
17:15:28

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

संख्या–आई/1149610 /2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री सन्त लाल सिंह, प्रबंधक,
सुबराजी देवी सेवा संस्थान,
ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड,
तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज।

पशुधन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2025

विषय :– उ0प्र0 में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कॉलेज,, ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड, तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज को अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1320/रजिस्ट्रार यू0पी0वी0सी0/निरीक्षण आख्या/2024–25, दिनांक 08–10–2025 तथा अपने शपथ–पत्र, दिनांक 05–05–2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कॉलेज, ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड, तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज को परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में परा पशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक सूचनाएं निम्नवत् हैं :–

(1) राज्य में पहले से विद्यमान डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन प्रदान करने वाले संस्थाओं की संख्या :–10

(2) राज्य में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या :– 60 (परिवर्तनीय)

(2.1) डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी की संख्या :– 100

(2.2) डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन की संख्या :– 100

(3) उ0प्र0 सरकार में वेटनरी फार्मासिस्ट कैडर एवं पशुधन प्रसार अधिकारी कैडर में रिक्त पदों की संख्या :–

(3.1) वेटनरी फार्मासिस्ट कैडर :–1300

(3.2) पशुधन प्रसार अधिकारी कैडर :–1131

(4) राज्य में वर्तमान डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तथा दोनों पाठ्यक्रमों के सापेक्ष अलग–अलग पशु संख्या अनुपात :–**लगभग 10,000 एवं 11,000 क्रमशः**

(5) Para Veterinery Institute की स्थापना से प्रदेश को सम्भावित रूप से उपलब्ध होने वाले डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन धारियों द्वारा पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संबंधी सेवा में किस प्रकार योगदान करेंगे जिससे प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता में सुदृढ़ हो सकेगा :– **Para Veterinery Institute की स्थापना स्थानीय शिक्षा के अवसर प्रदान करके, क्षेत्र के भीतर प्रतिभा को बनाए रखकर, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा तैयार करके, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और अंततः राज्य/प्रदेश के भीतर पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में मदद कर सकती है।**

(6) प्रस्तावित Para Veterinery Institute की स्थापना का पूर्ण औचित्य :– **प्रदेश के कई क्षेत्रों में पैरावेट कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पशु स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता होता है और उत्पादकता कम होती है। Para Veterinery Institute की स्थापना से कुशल पैरावेट कार्मिकों की एक सतत् धारा तैयार करके इस कमी को कम किया जा सकता है जो राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं।**

श्री सन्त लाल सिंह ने सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कॉलेज, ग्राम–भुसका, पो0–मेजा रोड, तहसील–मेजा, जनपद–प्रयागराज में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन कोर्स की स्थापना के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक को डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन कोर्स (प्रत्येक कोर्स में 100 सीटों के साथ) की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का विनिश्चय किया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. आवेदक के स्वामित्व/प्रबंधन में भवन एवं पशुधन फार्म परिसर जैसा कि शासनादेश दिनांक 18.11.2024 के न्यूनतम मानकों में विनिर्दिष्ट है, की स्थापना कोर्स प्रारम्भ करने से पूर्व अनिवार्य है, उपलब्ध है।

2. लोक हित में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन संस्था की स्थापना करना वांछनीय है।

3. श्री सन्त लाल सिंह द्वारा डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन की स्थापना साध्य है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक राज्य सरकार द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा नए दाखिले करने की अनुज्ञा को

वापस ले लिया जाता है तो वह डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में स्थानान्तरित करने में पूर्ण सहयोग देगा।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 20-11-2025 17:11:09

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1320/रजिस्ट्रार यू0पी0वी0सी0/निरीक्षण आख्या/2024–25, दिनांक 08–10–2025 के संदर्भ में।

(2) कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो–अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAVINDRA PRATAP SINGH
Date: 20-11-2025
17:14:26

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।